FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

श्रीमती राधा देवी व अन्य बनाम अंकित शर्मा व अन्य

किस्म मुकदमा– **अपील अंतर्गत धारा 55 भू राजस्व अधिनियम जीसीएमएस संख्या 2024/687**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पृथक–पृथक नामान्तरकरण की जॉच प्रकरणों का एकत्रीकरण करने हेतु निवेदन कर कथन किया कि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी श्री गोपाललाल पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राहम्ण की वादग्रस्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 1396 रकबा 0.5564 है0 व खसरा नं. 1399 रकबा 1.8841 है0 कुल किता 02 रकबा 2.4405 है0 सम्पूर्ण ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू व भूमि खसरा नं. 537 रकबा 0.0700 है0 व खसरा नं. 539 रकबा 0.7700 है0 कुल किता 02 रकबा 0.8400 है0 में हिस्सा 1/6 सम्पूर्ण ग्राम सारंगपुरा उपतहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित है। अभिलिखित खातेदार श्री गोपाललाल पुत्र महादेव का देहान्त दिनांक 20.08.2023 को हो जाने के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक हेतु तहसीदार फागी व तहसीलदार सांगानेर के समक्ष पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार फागी व सांगानेर द्वारा पृथक–पृथक प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में दर्ज कर नियमानुसार जॉच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जो विचाराधीन है। अतः प्रकरण संख्या 5/2024 तहसीलदार फागी एवं प्रकरण संख्या 9/2024 तहसीलदार सांगानेर को एकत्रीकरण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण संख्या 5/2024 तहसीलदार फागी को प्रकरण संख्या 9/2024 तहसीलदार सांगानेर के साथ एकत्रीकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे। हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि खातेदार श्री गोपाललाल पुत्र महादेव की विरासत के संबंध में प्रकरण संख्या 5/2024 तहसीलदार फागी एवं प्रकरण संख्या 9/2024 तहसीलदार सांगानेर के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में पृथक–पृथक दर्ज किया गया है। चूंकि प्रकरण में एक ही व्यक्ति की विरासत दर्ज की जानी है। ऐसे में न्याय की मंशा एवं पक्षकारों की सुविधा के मद्देनजर हम यह उचित पाते हैं कि प्रकरण की सुनवाई एक ही स्थान पर किया जाना कानूनन उचित है जिससे कानून की पेचिदगी एवं कोई विरोधाभासी निर्णय की संभावना नहीं होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी के प्रकरण संख्या 5/2024 को तहसीलदार सांगानेर में प्रेषित कर दोनों प्रकरणों को सुनवाई हेतु इक्जाई किया जाकर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (रश्मि गुप्ता) संभागीय आयुक्त जयपुर	